न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 37 / 2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 चिरंजीलाल पुत्र भागीरथ उम्र 64 वर्ष जाति हरिजन (बलाई) निवासी वार्ड नं. 10 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 उमराव पुत्र श्यामलाल आयु 39 वर्ष।

2 विमला देवी पुत्री श्यामलाल पत्नी जगदीश प्रसाद आयु 52 वर्ष समस्त जाति बलाई (हरिजन) निवासीगण शतनगर करोलबाग म.नं. 145, गली नं. 4 दिल्ली।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10.04.17
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला
प्रकरण चिरंजीलाल बनाम उमराव
आदि मुकदमा नम्बर 52 / 15

Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री विनोद कुमार सरोज अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रताप सिंह चौहान अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—01.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 52/2015 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 1358 से 1361 ढ़ाणी चौधरीयों वाली पटवार हल्का बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील खण्डेला जिला सीकर ने 3/6 हिस्से पर गत भूप्रबंध के पूर्व से ही कब्जा काश्त बताकर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट का जवाब प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि गत भूप्रबंध के समय गलती से श्यामलाल के नाम दर्ज हो गई श्यामलाल दिल्ली रहता है उसका कभी कब्जा काश्त नही रहा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार की रिपोर्ट 01.01.2018 से अपीलांट का कब्जा साबित है रिकार्ड में सहवन से नाम आने से अधिकार प्राप्त नही हो जाते है। अधिकार दावे में तय होना शेष है यदि स्थगन खारिज हो जाता है तो भूमाफियों से मिलकर विक्रय कर देगें। अपूर्णीय क्षति अपीलांट को होती है अत अपील अपीलांट स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील अपीलांट खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण रेस्पोडेंटस की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है अपीलांट का खातेदारी में नाम दर्ज नही है कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य प्रार्थी अपीलांट ने प्रस्तुत नही किया है विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

01/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर